

न्यायालय साहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 814 सन 2020

अनवान :-

1. दुनीचन्द्र पुत्र हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. गोविन्दराम पुत्र हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सीतादेवी पत्नी स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. गुडडी देवी पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. विद्या पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. सुलोचना पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. ज्योति पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- /8/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 120/121 की कुल 6.1200हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 121/119 की कुल 27.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 122/120 की कुल 24.2660हैक्टर में से 1/8 हिस्सा भूमि मृतक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


वाद भूमि वादी के पिता हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है हनुमान पुत्र काशीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मृतक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सममन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है वाद


उपखण्ड अधिकारी

नोहर

भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 120/121 की कुल 6.1200हैव भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 121/119 की कुल 27.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 122/120 की कुल 24.2660हैव में से 1/8 हिस्सा भूमि मृतक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है हनुमान पुत्र काशीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मृतक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 120/121 की कुल 6.1200हैव भूमि में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 121/119 की कुल 27.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 122/120 की कुल 24.2660हैव में से 1/8 हिस्सा भूमि मृतक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पिता हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है हनुमान पुत्र काशीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया/पत्नी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मृतक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी ने अपने कथनों की पुष्टि में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश


किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरप्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिफ्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिफ्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 120/121 की कुल 6.1200हैव भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व खाता संख्या 121/119 की कुल 27.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि में मृतक हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व खाता संख्या 122/120 की कुल 24.2660हैव में से 1/8 हिस्सा भूमि मृतक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ` दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 50000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिफ्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़ ज़ाहिर)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्त दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दुनीचन्द्र पुत्र हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

बनाम

वादी

- 1 गोविन्दराम पुत्र हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर ।
2. सीतादेवी पत्नी स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर ।
3. गुडडी देवी पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर ।
4. विद्या पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर ।
5. सुलोचना पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर ।
6. ज्योति पुत्री स्व हनुमान जाति ब्रह्मण निवासी नहराना तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 814 सन 2020 निर्णय दिनांक-18/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अखिलता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 120/121 की कुल 6.1200हैव भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में मूलक हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व खाता संख्या 121/119 की कुल 27.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि धोषित किया जाता है व खाता संख्या 121/119 की कुल 27.3250 में से 1/6 हिस्सा भूमि में मूलक हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व खाता संख्या 122/120 की कुल 24.2660हैव में से 1/8 हिस्सा भूमि मूलक हनुमान पुत्र काशीराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)